राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

डॉ० धिरेन्द्र कुमार*

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अब तक की प्रगति समान्य है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका चलन बढ़ रहा है और लोग इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने को तत्पर है। आर्थिक उदारीकरण एवं ढ़ाचागत समायोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषकर ग्रामीण निर्धनों के जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने हेतु ग्रामीण निर्धनता कार्यक्रमों का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए संसाधनों के आवंटन में निरंतर वृद्धि करते हुए ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसकी परिणति गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी है। योजना के अन्तर्गत 2007–08 में लगभग 85 करोड़ मनुष्य–दिवस का कार्य प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए वर्ष 2007–08 में 1200 करोड़ रूपये का प्रावधान था। इसमें से 30 जनवरी, 2008 तक लगभग 1050 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है। इस योजना के लिए अधिक धनराशि आवंटित किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

वित्तमंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि जब तक अर्थव्यवस्था की वार्षिक संवृद्धि दर 8.5 प्रतिशत बनी रहती है, यह गामीण समाज के सभी वर्गो के लिए कार्य देने में समर्थ रहेगा। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक ऐतिहासिक प्रयास के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की अब तक की यह सबसे सुदृढ़ योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सरकार का अग्रणी एवं प्रचारित कार्यक्रम है। इसके दूरगामी प्रभाव संभावित है। खेती और सम्बद्ध क्रियाओं के पूर्वतः विद्यमान रोजगार अवसरों के अतिरिक्त श्रमिक को 100 दिन का अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार पर उसमें निश्चितता आयेगी। गांव से पलायन रूकेगा। गांवों से बलात् पलायन होता है, क्योंकि गांव में काम के अवसर नहीं हैं, विशेषकर जब

***सहायक शिक्षक**

कृषि में कार्य नहीं होता है। नगरीय क्षेत्र के कई अकुशल कार्य अत्यंत श्रम साध्य और कष्टकारी होत हैं। यदि ऐसा ही कार्य उन्हें गांव में मिल सकेगा अपने परिवार के साथ रह सकेंगे और उनका जीवन–यापन उनके दम घोटू नगरीय जीवन से श्रेयस्कर होगा। इस योजना से नगरों की अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं कष्टकारी दशाओं में किसी प्रकार जीवन बसर करने से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में समाजोपयोगी उत्पादक परिसम्पति का सृजन और गरीबी निवारण में यह कार्यक्रम लाभदायक होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की नीतिगत रूपरेखा ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी की समस्या के निदान हेतु एक सबल आधार तैयार करती है। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग इस सन्दर्भ में कड़े प्रयास की अपेक्षा भी करते हैं, परन्तु योजना की वास्तविक सफलता इसके समक्ष क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यह कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन में कमियां है। काम मांगने वाले अधिकांश परिवारों को काम मिल तो जाता है परन्तु बहुत कम परिवारों को 100 दिन तक का पूरा रोजगार मिल पाता है। यह अनुमान किया गया है कि 2006–07 में कार्य पाने वालों. में से केवल 30 प्रतिशत को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2007–08 में भी बहुत कम परिवारों को 100 दिन का पूरा रोजगार मिल सका है। ऐसी दशा में कार्यक्रम की मूल भावना की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस संदर्भ में भारत के कन्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के निष्पादन ऑडिट में महत्पूर्ण कमियां पायी है और योजना का अतिरिक्त प्रसार करने से पूर्व इन कमियों के निराकरण करने की सलाह सरकार को दी है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए 2007–08 में आवंटित राशि का दिसम्बर 2007 तक 60 प्रतिशत भाग ही व्यय किया जा सका है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का क्रियान्वयन पक्ष सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। ताकि देश की बेरोजगार श्रम शक्ति इसके प्रावधानों से अवगत हो सकें और इसमें अपनी भागीदारी बढ़ायें।

सन्दर्भ :

1. जनपदीय विकास पुस्तिका, 200–06.
2. उ० प्र० की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2007–08.
3. सामाजर्थिक समीक्ष्रर, जनपद बलिया, 2008.
4. इकोनॉमिक टाइम्स, मार्च 2009.
5. मिश्र, जगदीश नारायण भारतीय अर्थव्यवस्था, 2002.
6. कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2014